21/12/22 पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थीगण उप०। विद्यार्थीगण के से आदेश 7 नियम 11 CPC मय वकालतनामा पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है। कॉपी पेशकार सरकार को दिलवाई। पत्रावली वास्ते जवाब हेतु आइन्दा दिनांक 12/01/23 को पेश हो।

12/01/23 पत्रावली पेश हुई। पेशकार सरकार व विद्यार्थीगण अधिवक्ता उप०। जवाब हेतु समय चाहने पर समय दिया जाकर पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 18/01/2023 को पेश हो।

18/01/23 पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थीगण उप०। पेशकार सरकार जवाब पेश नहीं करना चाहते हैं पेशकार सरकार को हिदायत दी जाती है कि आगामी पेशी में तैयार के साथ आवश्यक रूप से उपस्थित रहे अन्यथा आवेदन अदम पैरवी/अदम हाजरी मे खारिज किया जायेगा। अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 23/01/23 को पेश हो।

23/01/23 पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 15/02/23 को पेश हो।

15/02/23 पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थीगण उप०। अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई। प्रार्थी (पेशकार सरकार) की तरफ से बताया गया कि बिना परमिशन के भूमि पर निर्माण किया जा रहा है जो कि नियमो के विरुद्ध है। विद्यार्थीगण अधिवक्ता ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 CPC पर बहस कर निवेदन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 175-177 के तहत गलत

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
तथ्यो के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जो खारिज निरस्त करने योग्य है सत्य है कि राज. काश्त. अधिनियम 1955 मे बना है। विप्रार्थीगण के द्वारा वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई अवैध निर्माण नही किया गया है तथा न ही किसी प्रकार की कोई दुकानो का निर्माण करके व्यवसायिक गतिविधिया की जा रही है। विप्रार्थीगण के द्वारा अपने पशुओ के लिए बाड़ा एवं घर का निर्माण किया जा रहा है। विप्रार्थीगण ने भी कृषि सहकार्य के लिये अपना घर एवं पशुबाड़े इत्यादि बनाये जो अकृषि प्रयोजनार्थ की श्रेणी मे नही आता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 175-177 के तहत सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण अथवा अवैध अन्तरण या उप पट्टे के सम्बन्ध में है। प्रार्थी द्वारा उक्त धाराओं की परिभाषाओ का गलत अर्थ निकालते हुए गलत तथ्यो के आधार पर उक्त आवेदन प्रस्तुत किया है कि विधि के प्रावधानो के विपरीत होने से खारिज खारिज योग्य है। उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अतः विप्रार्थीगण वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस निर्देश के साथ स्वीकार किया जाता है कि यदि विप्रार्थीगण द्वारा कृषि भूमि का गैर कृषि कार्य हेतु बिना सक्षम आज्ञा के किया जाता है तो आवेदन पुनः पेश किया जा	

Bhilgi

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर … अहकाम … हुक्म की … में जारी हुए
	सकता है। एवं पत्रावली को इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से कम हो।	